न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानाराम, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 166 / 2023 अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. हयात पुत्र खुदु 2. शकुर पुत्र खुदु जाति मुसलमान, निवासी कायम की बस्ती तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. पूरी देवी पत्नी सूजाराम जाति कुम्हार, निवासी कायम की बस्ती तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :— 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण :— श्री भगवानदास गोयल।
2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 :— श्री ईश्वरसिंह भाटी।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 19.12.2024

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा कायम की बस्ती, तहसील शिव के खसरा नम्बर 302 रकबा 20.8656 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण के रहवासी ढाणी आदि बने हुए है तथा प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है। उक्त विवादित आराजी के सेढासेढ ही विप्रार्थी संख्या 1 का खेत खसरा नम्बर 435 / 302 रकबा 2.9137 हैक्टेयर आया हुआ है। पक्षकारान् के सेढे पर माठे बनी हुई है तथा उसी अनुसार काश्त करते आ रहे है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा लट्ठा नक्शा में बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये गलत तरमीम कर दी गई, जिसे उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से पक्षकारान् का कब्जा काश्त एवं रहवासी ढाणियां प्रभावित हो रही है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे जब प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि उसकी खातेदारी की मौके पर कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में भारी भिन्नता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के खसरा नम्बर 302 व 435 / 302 में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर विद्यमान कब्जा काश्त अनुसार एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। उक्त विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा एवं मौका स्थिति का मिलान करने पर प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त एवं रहवासी ढाणियों को मध्यनजर रखते हुए उपस्थित मौतबिरान एवं प्रभावित पक्षकारान् द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार दुरस्त किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता ईकबाली जवाब पेश कर उक्त तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तदनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई।

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार होने पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। साथ ही मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित मौतबिरान् एवं प्रभावित खातेदारान् द्वारा तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कायम की बस्ती (गोकला बस्ती), तहसील शिव में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी के खसरा नम्बर 302 रकबा 20.8656 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 435/302 रकबा 2.9137 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 19.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner